



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०-२७०-ज०श०० एवं प्र०सु०-०१ / पाकालि / २०१८-१००(१)प्र०सु०/९२

दिनांक २८ मार्च, २०१८

### कार्यालय-ज्ञाप

उपरोक्त पावर कारपोरेशन लिंग के कार्मिकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण विषयक समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये वर्ष २०१८-२०१९ के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति, एतदद्वारा निर्धारित की जाती है :—

#### १. स्थानान्तरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे :—

- (क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
- (ख) प्रोन्ति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
- (ग) किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण यथा चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण / समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
- (घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद / नगर में तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

#### २.(i) समूह 'क' के वे अधिकारी, जो एक वितरण निगम (डिस्कॉम) / केस्को में समूह 'क' के पद पर १० वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को दूसरे वितरण निगम (डिस्कॉम) / केस्को में स्थानान्तरित किया जायेगा।

उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी वितरण निगम (डिस्कॉम) / केस्को में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम ०३ वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य वितरण निगम (डिस्कॉम) / केस्को में तैनात रहा हो।

#### २.(ii) समूह 'क' एवं 'ख' के वे अधिकारी जो एक खण्ड (डिवीजन) में ०३ वर्ष अथवा एक मण्डल (सर्किल) में ०५ वर्ष अथवा वितरण क्षेत्र (जोन) में ०७ वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी खण्ड (डिवीजन) / मण्डल (सर्किल) / वितरण क्षेत्र (जोन) में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम ०३ वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य खण्ड (डिवीजन) / मण्डल (सर्किल) / वितरण क्षेत्र (जोन) में तैनात रहा हो।

#### ३. (i) समूह 'ग' के अन्तर्गत सभी अवर अभियन्ता एक सेवकान में ०३ वर्ष, एक खण्ड में कुल ०५ वर्ष, एक मण्डल में ०८ वर्ष तथा एक क्षेत्र में कुल १० वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेंगे। कोई भी अवर अभियन्ता जो एक स्थान पर पहले कार्य कर चुका है, उसे उस स्थान पर दोबारा तैनात नहीं किया जायेगा।

#### (ii) समूह 'ग' के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए एक पद पर अधिकतम ०३ वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसकी तैनाती पद का परिवर्तन किया जायेगा। एक कार्यालय में कार्य करते हुए उसकी अधिकतम अवधि ०६ वर्ष होगी तथा जनपद में १० वर्ष की अवधि होगी। कार्यालय सहायकों को उनके गृह जनपदों में तैनात नहीं किया जायेगा।

#### (iii) समूह 'ग' के परिचालकीय वर्ग के सभी कर्मचारी एक स्थान पर ०५ वर्ष तथा एक जनपद में १५ वर्ष तक तैनात रहेंगे, तत्पश्चात् उन्हे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

(iv) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण यथा सम्भव उनके गृह जनपद अथवा खण्ड में ही किये जायेंगे लेकिन उन्हें उस उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा, जिसमें कि उनका गृह स्थान स्थित है। उनकी अवधि उपखण्ड में 05 वर्ष, खण्ड में 10 वर्ष तथा मण्डल में 15 वर्ष होगी।

4. शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में एक पद पर 03 वर्ष तक लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

5. प्रत्येक इकाई में उक्त आधारों पर प्रत्येक वर्ग हेतु इकाई के ऐसे कार्मिक जिसकी एक पद पर लगातार तैनाती अवधि अधिकतम हो, को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा तथा कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 40 प्रतिशत तक स्थानान्तरण सीमित रखा जायेगा। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जायेगा।

6. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० स्तर से अन्तर निगमीय सामान्य स्थानान्तरण दिनांक 15 अप्रैल 2018 से 20 अप्रैल 2018 तक एवं निगमों के आन्तरिक सामान्य स्थानान्तरण दिनांक 20 अप्रैल 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक किये जायेंगे।

यदि किसी कारणवश इसके उपरान्त किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना हो तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जायेगा।

7. (i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती सत्यनिष्ठा रोके जाने की तिथि से अग्रेतर 03 वर्षों तक संवेदनशील पद पर नहीं की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव बनाये जाने की तिथि से विगत 03 वर्षों की अवधि में 03 अथवा इससे अधिक दण्ड (लघु/वृहद) पाये हुये कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

**स्पष्टीकरण :** किसी कार्मिक को यदि किसी एक प्रकरण में 'निन्दा प्रविष्टि' एवं 'असंचयी/संचयी प्रभाव' से वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया है तो उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्मिक को 02 दण्ड प्रदान किये गये माने जायेंगे।

8. अधिकारियों की गृह जनपद में संवेदनशील पदों पर तैनाती नहीं की जायेगी।

#### 9. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त :—

(i) मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(ii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iii) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iv) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(v) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ डेट 31-03-2018 मानी जायेगी।

(vi) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जायेगा।

(vii) सामान्यतः किसी कार्मिक को जिस पद/कार्यालय पर पहले कार्य कर चुका हो, पुनः उसे उसी पद/कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा।

(viii) विभिन्न संगठनों के संवेदनशील पद निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं:-

1. **वितरण संगठनः-**

- I) सभी विद्युत वितरण मण्डल, नगरीय विद्युत वितरण मण्डल एवं उनसे संबंधित सभी खण्ड एवं उप खण्ड।
- II) सभी सामग्री क्रय मण्डल एवं उससे संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के पद।
- III) सभी सामग्री भण्डार मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड एवं उपखण्ड।
- IV) सभी विद्युत कार्य मण्डल/कार्यशाला मण्डल एवं इससे संबंधित सभी खण्ड।
- V) "इक्वेटर" इकाई के सभी पद।

2. **लेखा संगठनः-**

- I) वितरण स्कन्ध में उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद।
- II) उप निदेशक/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी आन्तरिक सम्प्रेक्षा के पद।
- III) उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के वे सभी पद जिन पर धन आहरण एवं वितरण एवं बैंक खाता संचालन के अधिकार प्रदत्त हैं।

3. **जानपद संगठनः-**

- I) सभी विद्युत जानपद वितरण मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड एवं उपखण्ड।

10. **स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :-**

- (i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनाँक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को स्थानान्तरण किये जाने के पश्चात अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिये जायेंगे।

11. **मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :-**

मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक नहीं किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

12. **स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :-**

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई स्थानान्तरित कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी अधिनियम-56 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने वाले सम्बन्धित कार्मिक के अगले वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी को दे दी जाये।

### 13. चार्ज नोट :-

स्थानान्तरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्यभार छोड़ने के समय चार्ज नोट तीन प्रतियों में तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को देगा, एक प्रति अपने से उच्च अधिकारियों को कार्यभार प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा एवं तृतीय प्रति स्वयं रखेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं/विधिक मामलों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देगा ताकि नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को आगे कार्य सम्पादित कराने में सुविधा हो तथा विभाग को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो।

14. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय द्वारा कभी भी, किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।
15. यह स्थानान्तरण नीति जब तक कारपोरेशन द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।
16. (i) सभी सामान्य स्थानान्तरण एवं तैनाती आदेश संगत स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये जायेंगे। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार के स्थानान्तरणों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा गठित द्विसदस्यीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।  
(ii) यदि प्रस्तावित स्थानान्तरण संगत स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही हो तो उक्त समिति का कार्यात्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।  
(iii) किसी विशिष्ट एवं अपवादिक प्रकृति के कारण स्थानान्तरण, जिनका उपरोक्त स्थानान्तरण नीति का विचलन करते हुये किया जाना वांछित हो, के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित द्विसदस्यीय समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये जा सकते हैं।
17. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति 2018–2019 की स्थानान्तरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त तत्काल प्रभावी होंगे।"

### निदेशक मण्डल की आज्ञा से

#### सं0-270(i)-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
6. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I एवं II)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।

10. अपर सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उप—महालेखाकार/महालेखाकार (आडिट)—द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, समस्त विद्युत वितरण निगम लि०।
16. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर “Orders” एवं “Right to Information” शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,  
 आ॒र॑ के॒ ना॑  
 (आर०के० गुप्ता)  
संयुक्त सचिव (ज०श० एवं प्र०स०)